2020/00469

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर गहनता से मनन किया। न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29/5/2018 की पालना में ग्राम सिन्दवडी की आ.नं. 77 रकबा 0.24 हे. भूमि विपक्षी/वादी प्रभुलाल के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित की गई है। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा मा. न्यायालय RAA चित्तौड़गढ़ के यहां इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 29/5/2018 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। मा. अपीलीय न्यायालय RAA चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या 261/2018 में दिनांक 12/2/2020 को पारित निर्णय एवं डिक्री से इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 29/5/2018 को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के निर्णय 29/5/2018 की पालना में राजस्व रेकार्ड में परिवर्तित किये गये इन्द्राज को निरस्त कर, राजस्व रेकार्ड में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 29/5/2018 के पूर्व की स्थिति कायम की जाना उचित है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 ला.रे. स्वीकार किया जाकर ग्राम सिन्दवडी की आ.नं. 77 रकबा 0.24 हे. पुनः प्रार्थी/प्रतिवादी लक्ष्मण पिता कवलचन्द डांगी निवासी सिन्दवडी के नाम दर्ज रेकार्ड किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं [illegible] 2020 के साथ संलग्न की जावे।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.08.09 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

2020/00469

06/7/2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी अनुपस्थित। आवाज लगवाई गई उपस्थित नहीं। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते है।

बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी एक तरफा सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण मे दिनांक 29/5/2018 को न्यायालय आप द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना ग्राम निंदवडी पं.स. सामरी की आराजी खसरा 77 रकबा 0.24 हे. प्रभुलाल पिता मेघा डांगी निवासी निन्दवडी के नाम जरिए इ. नं. 527 दिनांक 05/6/2018 अंकित कर दी गई। न्यायालय आप के निर्णय के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा अपीलीय न्यायालय RAA चित्तौडगढ मे अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर अपीलीय न्यायालय ने बाद सुनवाई इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 29/5/2018 को निरस्त कर, बाद पुनः सुनवाई हेतु न्यायालय आप मे प्रति प्रेषित किया है। अतः न्यायालय आप के निर्णय व डिक्री दिनांक 29/5/2018 अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिए जाने से उक्त डिक्री की पालना मे प्रभुलाल के नाम पर की गई ग्राम (निन्दवडी प.स.) सामरी की आ.नं. 77 रकबा 0.24 हे. को प्रार्थी लक्ष्मी लक्ष्मण पिता कवलचन्द डांगी के नाम पर अंकित किए जाने के [illegible] पूर्ववत स्थिति कायम कराई [illegible]

...लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.08.09 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
जिला चित्तौड़गढ़